

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 19—HLA OF 2023

THE HARYANA BACKWARD CLASSES (RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS) AMENDMENT BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment Act, 2023.

Short title.

2. In Schedule-I to the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016,—

Amendment of Schedule-1 to Haryana Act 15 of 2016.

(i) in serial number 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th June, 2016, namely:—

“Naik”;

(ii) in serial number 31, for the existing entry, the following entry shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 4th July, 2023, namely:—

“Joginath, Jogi, Nath, Jangam, Yogi”;

(iii) in serial number 50, the existing entry shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 30th June, 2016.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Government of India included 7 castes i.e. Aheria, Aheri, Heri, Hari, Thori, Turi and Rai Sikh in the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 vide notification gazette No. 27 dated 09.05.2016 on the recommendation No. 568-SW (1) 2014 dated 28.07.2014 of the State Government.

2. While including these communities in the list of Scheduled Castes, the Govt. of India also deleted these communities from the Central list of Other Backward Classes for Haryana vide notification no. 12011/15/2016-BC-II dated 30.06.2016 as list of scheduled castes and other backward classes are mutually exclusive and one community cannot be found in the list of Scheduled Castes as well as Backward Classes at the same point of time. Therefore, to clear the confusion being faced by the authorities concerned whether to issue Scheduled Caste certificate or Backward Class certificate to these castes and once these caste have been included in the Constitution Schedule Castes order, same are liable to be deleted from the list of Backward Classes. These castes Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari at serial number 1 may replaced with "Naik" word in the State Backward Classes list and "Rai Sikh" at Serial number 50 will be replaced with the "Omitted" word from the State Backward Classes list with effect from 30.06.2016 as the Govt. of India has also deleted these castes from the Other Backward Classes list of Haryana from the same date.

3. The Haryana Government vide notification no. 735-SW (1)-2016 dated 27.07.2016 decided to insert 'Jangam' caste separately at sr. no. 72 in the list of Backward Classes (Block-A) Schedule-I and at the same time, the word 'Jangam-Jogi' appearing at sr. no. 31 is to be deleted as Jogi is already mentioned there separately. The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (Act No. 15 of 2016) came in force on 12.05.2016 before the issue of above notification regarding 'Jangam' and modification in the list of Backward Classes (Block-A) is to be carried out to insert 'Jangam' caste at sr. no. 72 separately. The CMM has approved the proposal on dated 04.07.2023 of the department with the following comments:-

"The proposal was approved with the amendment that instead of creating new entry at no. 72 for Jangam Caste, the entry in sr. no. 31 be amended as Jangam caste only."

4. The bill seeks to achieve the above objectives.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 14th December, 2023.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 14th December, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE**EXTRACT OF THE HARYANA BACKWARD CLASSES
(RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS) ACT, 2016**

Section 2: (b) "Backward Classes" means such classes of citizens as specified in Schedule I, II or III;

(h) "Schedule" means the Schedules appended to this Act.

SCHEDULE-1**BACKWARD CLASS BLOCK 'A'**

1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX
7. XXX
8. XXX
9. XXX
10. XXX
11. XXX
12. XXX
13. XXX
14. XXX
15. XXX
16. XXX
17. XXX
18. XXX
19. XXX
20. XXX
21. XXX
22. XXX
23. XXX
24. XXX
25. XXX
26. XXX
27. XXX
28. XXX
29. XXX
30. XXX
31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi

32. XXX
33. XXX
34. XXX
35. XXX
36. XXX
37. XXX
38. XXX
39. XXX
40. XXX
41. XXX
42. XXX
43. XXX
44. XXX
45. XXX
46. XXX
47. XXX
48. XXX
49. XXX
50. Rai Sikhs
51. XXX
52. XXX
53. XXX
54. XXX
55. XXX
56. XXX
57. XXX
58. XXX
59. XXX
60. XXX
61. XXX
62. XXX
63. XXX
64. XXX
65. XXX
66. XXX
67. XXX
68. XXX
69. XXX
70. XXX
71. XXX

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-19 एच०एल०ए०

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण)
संशोधन विधेयक, 2023

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण)
अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 की अनुसूची-I में,- 2016 के हरियाणा अधिनियम 15 की अनुसूची-I का संशोधन।

(i) क्रम संख्या 1 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 30 जून, 2016 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

“नायक”;

(ii) क्रम संख्या 31 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 4 जुलाई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

“जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम, योगी”;

(iii) क्रम संख्या 50 में, विद्यमान प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा तथा 30 जून, 2016 से लोप किया गया समझा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. राज्य सरकार की सिफारिश क्रमांक 568-SW(1)2014 दिनांक 28.07.2014 पर भारत सरकार द्वारा राजपत्र संख्या 27 दिनांक 09.05.2016 के तहत 7 जातियों अर्थात् अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, थोरी, तुरी और राय सिख को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किया गया।

2. इन समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करते समय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 12011/15/2016-बीसी-II दिनांक 30.06.2016 के तहत इन 7 जातियों को हरियाणा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से भी हटा दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची परस्पर अनन्य है और एक समुदाय को एक ही समय में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, संबंधित अधिकारियों के सामने आने वाले भ्रम कि क्या इन जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या पिछड़े वर्ग प्रमाण पत्र जारी किया जाए, को दूर करने के लिए और एक बार जब इन जातियों को संविधान के अनुसूचित जाति आदेश में शामिल कर लिया जाए, तो उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार की पिछड़े वर्ग की सूची में क्रम संख्या 1 पर "अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थोरी या तुरी, हरि" को बदल कर "नायक" शब्द तथा क्रम संख्या 50 पर "राय सिख" की जगह "लोपित" शब्द दिनांक 30.06.2016 से अंकित किया जाए क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी उसी तारीख से हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में बदलाव किया गया है।

3. हरियाणा सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 735-एसडब्ल्यू (1)-2016 दिनांक 27.07.2016 द्वारा "जंगम" जाति को पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए) अनुसूची-1 की सूची में क्रम संख्या 72 पर अलग से डालने का निर्णय लिया गया और साथ ही, क्रमांक संख्या 31 पर अंकित "जंगम-जोगी" शब्द को हटाया जाना है क्योंकि जोगी का उल्लेख वहां पहले से ही अलग से किया गया है। "जंगम" के संबंध में पिछड़े वर्ग (ब्लॉक-ए) में क्रम संख्या 72 पर "जंगम" जाति डालने की उपरोक्त अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 15) दिनांक 12.05.2016 को लागू हो गया था। मंत्रीपरिषद् द्वारा दिनांक 04.07.2023 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है:-

"प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई कि क्रम संख्या 72 पर जंगम जाति के लिए नई प्रविष्टि बनाने के बजाय क्रमांक संख्या 31 पर प्रविष्टि को केवल जंगम जाति के रूप में संशोधित किया जाए।"

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 से उद्धरण

धारा 2: (बी) "पिछड़ा वर्ग" का अर्थ नागरिकों के ऐसे वर्ग हैं जो अनुसूची I, II या III में निर्दिष्ट हैं;

(एच) "अनुसूची" का अर्थ इस अधिनियम में जुड़ी अनुसूचियां हैं।

अनुसूची 1

पिछड़ा वर्ग ब्लॉक- 'ए'

1. अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थोरी या तुरी, हरि
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX
7. XXX
8. XXX
9. XXX
10. XXX
11. XXX
12. XXX
13. XXX
14. XXX
15. XXX
16. XXX
17. XXX
18. XXX
19. XXX
20. XXX
21. XXX
22. XXX
23. XXX
24. XXX
25. XXX
26. XXX
27. XXX
28. XXX
29. XXX
30. XXX
31. जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी
32. XXX

33. XXX
34. XXX
35. XXX
36. XXX
37. XXX
38. XXX
39. XXX
40. XXX
41. XXX
42. XXX
43. XXX
44. XXX
45. XXX
46. XXX
47. XXX
48. XXX
49. XXX
50. राय सिख
51. XXX
52. XXX
53. XXX
54. XXX
55. XXX
56. XXX
57. XXX
58. XXX
59. XXX
60. XXX
61. XXX
62. XXX
63. XXX
64. XXX
65. XXX
66. XXX
67. XXX
68. XXX
69. XXX
70. XXX
71. XXX